



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र.

3551/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2025

दिनांक 11/12/25

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
अभ्युदय विश्वविद्यालय
खरगौन (म.प्र.)

विषय— शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.11.2025 में की गयी अनुशांसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 198वीं सभा बैठक दिनांक 02.12.2025 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

**विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)**

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	School Of Engineering & Technology	B.Tech. in Computer Science & eng.	105,000	83300	14700	98000
2		B.Tech. in Information Technology	105,000	83300	14700	98000
3		B.Tech. in Computer Science & Information Tech.	105,000	83300	14700	98000
4		B.Tech. in Data Science	105,000	83300	14700	98000
5		B.Tech. in Electronics & Communication	105,000	83300	14700	98000
6		B.Tech. in Cloud Computing	105,000	83300	14700	98000

// 02 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

7	School Of Commerce And Management	M.B.A	100,000	75225	13275	88500
8		PGP	210,000	165750	29250	195000
9		BBA (HONS.)+MBA	90,000	72250	12750	85000
10		BBA (Hons)	125,000	93500	16500	110000
11		B.COM. (Plain)	35,000	25500	4500	30000
12		B.COM. (Tax Procedure)	35,000	25500	4500	30000
13		B.COM. (Computer Application)	35,000	25500	4500	30000
14		B.COM. (Advertising Sales & Mgt.)	35,000	25500	4500	30000
15		B.COM. (Foreign Trade)	35,000	25500	4500	30000
16		M.COM	40,000	31025	5475	36500
17		Diploma In Retail Management	40,000	31875	5625	37500
18		Diploma In Event Management	40,000	31875	5625	37500
19		Diploma In Hotel Management	40,000	31875	5625	37500
20	School Of Science And Computer Science	B.Sc. (Hons) (Biotechnology)	70,000	52105	9195	61300
21		B.Sc. (Bio Chemistry)	32,000	25500	4500	30000
22		B.Sc. (Food Technology)	32,000	25500	4500	30000
23		B.Sc . Plain	35,000	25500	4500	30000
24		B.Sc. Forensic Science	75,000	54825	9675	64500
25		M.Sc. (Bio Technology)	40,000	31025	5475	36500
26		M.Sc. (Forensic science)	40,000	31025	5475	36500
27		M.Sc. (Chemistry)	40,000	31025	5475	36500

// 03 //

**विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)**

28	School Of Science And Computer Science	M.Sc. (Food Technology)	55,000	39525	6975	46500
29		M.Sc. (Physics)	40,000	31025	5475	36500
30		M.sc. (Mathematics)	38,000	31025	5475	36500
31		BCA	52,000	39950	7050	47000
32		BCA+MCA Integrated	52,000	39950	7050	47000
33		B.Sc. (Computer Science)	45,000	34000	6000	40000
34		BSC+MSC Integrated (CS)	45,000	34000	6000	40000
35		B.Sc. Animation & Multimedia	170,000	131750	23250	155000
36		M.Sc. (comp. science)	45,000	37400	6600	44000
37		PGDCA	32,000	25500	4500	30000
38		Diploma In Mobile & Telephone Servicing	40,000	31875	5625	37500
39		Diploma In Computer	40,000	31875	5625	37500
40	School Of Performing Arts, Humanities And Social Science	B.A. (Public Administration)	120,000	89250	15750	105000
41		B.A. Psychology	75,000	54825	9675	64500
42		M.A. (Public Administration)	55,000	42500	7500	50000
43		M.A. Psychology	40,000	31025	5475	36500
44		B.A. Animation & Multimedia	25,000	19550	3450	23000
45		Bachelor Of Fine Arts (Painting)	45,000	35700	6300	42000
46		Bachelor Of Fine Arts (Applied Art)	45,000	35700	6300	42000
47		Master Of Fine Arts (Painting)	55000	43350	7650	51000




// 04 //

**विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)**

48	School Of Performing Arts, Humanities And Social	Mater Of Fine Arts (Applied Art)	55,000	43350	7650	51000
49		Master Of Arts (Painting)	55,000	43350	7650	51000
50		Diploma In Spoken English	40,000	30600	5400	36000
51		Diploma In Security Guard Services	40,000	31875	5625	37500
52		Diploma In Yoga	40,000	31875	5625	37500
53	School Of Journalism & Mass Communication	B.J	40,000	31875	5625	37500
54		M.J	40,000	31875	5625	37500
55		B.A.(Hons.) Mass Communication	72000	56100	9900	66000
56	School Of Fashion Technology & design	B.Design (Accessories And Fashion)	155,000	121550	21450	143000
57		Master Of Fashion Technology	75000	58650	10350	69000
58		M. Design	75,000	58650	10350	69000
59		Diploma In Fashion Design	40,000	31875	5625	37500
60		Diploma In Interior Design	40,000	31875	5625	37500
61	School of Law	L.L.B	52,000	39525	6975	46500
62		L.L.M	70000	59500	10500	70000
63		B.A. L.L.B	75000	60350	10650	71000
64	School Of Agriculture	B.Sc. Agriculture	80000	63750	11250	75000
65		M.sc Agriculture	90000	73100	12900	86000
66		Diploma In Agri Farming	40000	31875	5625	37500
67	School Of Paramedical Science	Bachelor Of Physiotherapy (BPT)	100000	85000	15000	100000
68		Diploma In Medical Lab Technician	80000	68000	12000	80000
69		Diploma In X Ray (Radiographer) Technician	80000	68000	12000	80000

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

// 05 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की आवेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2025-26 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. देवेन्द्र सिंह गुर्जर)

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक 3552 / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ / 2025

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

भोपाल, दिनांक 11/12/25

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल